

पत्र संख्या : ८४/४७०१ यो०ज०सं०-१०/१२

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

६।

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/याँत्रिक राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रोकी, दिनांक : १५.६.१२

विषय :-

मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-४६-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण विपत्र कोड ४९P470180796460543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-२ में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	४९-जल संसाधन विभाग/ ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ ८०-सामान्य	७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/४६-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण ४९P470180796460543	132.90

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ बत्तीस लाख नब्बे हजार मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. ६५०.०० लाख (छ: करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-२, में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा रख्यं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

(१०४)
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

मृग
(मुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

बी. सी. निगम
विशेष सचिव मृग

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

ज्ञापांक :—

61

रॉची, दिनांक :- 15.6.12

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. – हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/देवघर/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

ज्ञापांक :—

61

रॉची, दिनांक :- 15.6.12

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त।

M.C.L
(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

S.M.K.
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

B.S.N.
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

ला।
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

मान संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-796-जल जातीय क्षेत्रीय उप योजना,

उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 43 अनुरक्षण/मरम्मत एवं सुसंजडीकरण

विपत्र कोड-49P470180796460543

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपलंध रु. 650.00 लाख मात्र।

क्र.	प्रमङ्गल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसांग	मार्च 2012 तक का व्यय	राशि (लाख ₹ में)			
							1	2	3	4
1	जलपथ प्रमङ्गल, राँची	राँची	नन्दनी जलशय योजना	57.019	69/11-12 प्र०स्वी०	16.11	0.00	38.42	38.42	38.42
2	सिंचाई योग्यत्रिक प्रमङ्गल, राँची	राँची	खतवा वीयर योजना	60.44	12 / 11-12 प्र०स्वी०	7.10	0.00	1.38	1.38	1.38
3	सिंचाई योग्यत्रिक प्रमङ्गल, देवधर	योग्यत्रिक राँची	झारखण्ड अन्तर्गत सिंचाई दे रही विभिन्न योजनाओं के नहरों एवं गेटों के कणाकित कार्य	345.84	20 / 10-11 प्र०स्वी०	34.26	0.00	0.46	0.46	0.46
4	गाँधीक प्रमङ्गल, बनासो		झारखण्ड अन्तर्गत सिंचाई दे रही विभिन्न योजनाओं के नहरों एवं गेटों के कणाकित कार्य	345.84	67 / 11.12 प्र०स्वी०	0.00	0.00	63.03	63.03	63.03
			झारखण्ड अन्तर्गत सिंचाई दे रही विभिन्न योजनाओं के नहरों एवं गेटों के कणाकित कार्य	345.84	67 / 11.12 प्र०स्वी०	0.00	0.00	21.73	21.73	21.73
			झारखण्ड अन्तर्गत सिंचाई दे रही विभिन्न योजनाओं के नहरों एवं गेटों के कणाकित कार्य	345.84	67 / 11.12 प्र०स्वी०	0.00	0.00	7.88	7.88	7.88
			आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ बत्तीस लाख नब्बे हजार मात्र।	योगा	57.47	0.00	132.90	132.90	132.90	132.90

आवंटित राशि परिशिष्ट - 2, में वर्णित कार्य

(सुरेश प्रसाद भगत)

(सहायक अमित)

(सुरेन्द्र कुमार सिंह)

(बीरेंद्र सिंह नेगी)

(एस० के० शतपथी)

(प्रद्युम्न सिंह)

पत्रांक :-

61 दिनांक 15.6.12

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड 49P470180796460543

(लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	राशि	अम्युक्ति
1	जलपथ प्रमण्डल, राँची	नन्दनी जलाशय योजना	1 नन्दनी जलाशय योजना के मुख्य नहर के चेन सं-92 80 पर ध्वस्त एक्वाडक्ट का निर्माण कार्य	38.42	
				योग	38.42
2	सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची	झारखण्ड अन्तर्गत सिंचाई दे रही विभिन्न योजनाओं के नहरों एवं गेटों के कर्णाकित कार्य	1 खतवा वीयर योजना 1 खतवा वीयर योजना के आउटलेट का पुनर्स्थापन कार्य	1.38	
				योग	1.38
			2 कीता वीयर योजना 1 कीता वीयर योजना के गेटों का पुनर्स्थापन कार्य	0.46	
				योग	0.46
			3 कोकरो, वीयर योजना के गेट की मरम्मति कार्य	14.96	
3	सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, देवघर	झारखण्ड अन्तर्गत सिंचाई दे रही विभिन्न योजनाओं के नहरों एवं गेटों के कर्णाकित कार्य	2 फुलझर वीयर योजना के गेट मरम्मति का कार्य	9.71	
			3 लतरातु जलाशय योजना के गेट मरम्मति कार्य	19.53	
			4 पारस जलाशय योजना के गेट मरम्मति कार्य	8.38	
			5 रोरो वीयर योजना के गेट मरम्मति कार्य	10.45	
				योग	63.03
			6 फलहारपुर, वीयर के फॉलिंग शटर स्लुईस गेट एवं H/R गेट का मरम्मति कार्य	2.34	
			7 बड़ानदी, कैराबनी, दिग्गल पहाड़ी, के गेटों की मरम्मति कार्य	0.98	
4	यांत्रिक प्रमण्डल, बनासो	झारखण्ड अन्तर्गत सिंचाई दे रही विभिन्न योजनाओं के नहरों एवं गेटों के कर्णाकित कार्य	8 सुखजोर, बकाकेर एवं सूर्यारथी योजना के गेट मरम्मति कार्य	0.96	
			9 पगला वीयर योजना के गेट मरम्मति कार्य	4.93	
			10 हरना वीयर योजना (दक्षिण) गेट मरम्मति कार्य	4.57	
			11 हरना वीयर योजना (उत्तर) गेट मरम्मति कार्य	4.77	
			12 दहुआजोर वीयर योजना का गेट मरम्मति कार्य	3.18	
				योग	21.73
			13 जमुनिया जलाशय का कार्य आउटलेट गेट का मरम्मति	0.17	
			14 बौधा जलाशय योजना के सर्विस एवं इमरजन्सी गेट की मरम्मति	0.64	
5	सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, बनासो	झारखण्ड अन्तर्गत सिंचाई दे रही विभिन्न योजनाओं के नहरों एवं गेटों के कर्णाकित कार्य	15 बौधा जलाशय योजना के नहर गेट का निर्माण एवं मरम्मति	1.58	
			16 बक्सा जलाशय योजना के सर्विस एवं इमरजन्सी गेटों की मरम्मति	0.61	
			17 बक्सा जलाशय योजना के नहर गेट का निर्माण एवं अधिस्थापन	1.06	
			18 अंजनवा जलाशय के नहर के H/R गेट की मरम्मति	1.26	
			19 हुलकी जलाशय के गेट का पुनर्स्थापन एवं सम्पोषण	0.67	
			20 कुटीपीसी वीयर योजना के गेट का पुनर्स्थापन	1.89	
				Total	7.88
				Grand Total	132.90

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ बत्तीस लाख नब्बे हजार मात्र।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव(एस० कें० शतपथी)
प्रधान सचिव